CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

Members and Staff of Authorities Committee and Lok Adalats to be public servants

23. The members including Member-Secretary or, as the case may be, Secretary of the Central Authority, the State Authorities, the District Authorities, the Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committees, Taluk Legal Services Committees and officers and other employees of such Authorities, Committees and the members of the Lok Adalats shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Protection of Action taken in good faith

24. No suit prosecution or other legal proceedings shall lie against-
    (a) the Central Government or the State Government;
    (b) the Patron-in-Chief, Executive Chairman, Members, Member-Secretary or officers or other employees of the Central Authority;
    (c) Patron-in-Chief, Executive Chairman, Members, Member-Secretary or officers or other employees of the State Authority;
    (d) Chairman, Secretary, Members or officers or other employees of the Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committees, Taluk Legal Services Committees or the District Authority; or
    (e) any other person authorised by any of the Patron-in-Chief, Executive Chairman, Chairman, Member, Member-Secretary referred to in sub-clauses (b) to (d), for anything which is in good faith done or intended to be done under the provisions of

अध्याय 7

प्रकीर्ण

प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

23. केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों के सदस्य जिनके अन्तर्गत यथास्थिति, सदस्य सचिव या सचिव भी है और ऐसे प्राधिकरणों, समितियों के अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा लोक अदालत या स्थाई लोक अदालतों के सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

24. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबंधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही :-
    (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार,
    (ख) केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्यों या सदस्य सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों,
    (ग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों,
    (घ) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों, या
    (ङ) उपखण्ड (ख) से उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, के विरुद्ध नहीं होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

this Act or any rule or regulation made thereunder.

Act to have overriding effect

25. The Provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything in consistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Power to remove difficulties

26. 1. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the official Gazette, make such privisions,not incosistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removbing the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date on which this Act receives the assent of the President.

2. Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

Power of Central Government to make rules

27. 1. The Central Government, in consultation with the Chief Justice of India may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

2. In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the number, experience and qualifications of other members of the Central Authority under clause (c) of sub-section (2) of section 3;

25. इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

26. 1. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हों, कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों,

परन्तु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

2. इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

27. 1. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य-सचिव का अनुभव और अर्हताएं तथा उनकी शक्तियां और कृत्य,

(b) the experince and qualifications of the Member Secretary of the Central Authority and his powers and functions under sub-section (3) of section3;

(c) the terms of office and other conditions relating thereto, of Members and Member Secretary of the Central Authority under sub-section (4) of section 3;

(d) the number of officers and other employees of the Central Authority under sub-section (5) of section 3;

(e) the conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the Central Authority under sub-section (6) of section 3;

(f) the number experience and qualification of members of the Supreme Court Legal Services Committee under clause (b) of sub-section (2) of section 3A;

(g) the experience and qulifications of Secretary of the Supreme Court Legal Services Committee under sub-section (3) of section 3A;

(h) the number of officers and other employees of the Supreme Court Legal Services Committee under sub-section (5) of section 3A and the conditions of service and the salary and allowances payable to them under sub-section (6) of that section;

(i) the upper limit of annual income of a person entitling him to legal services under clause (h) of section 12, if the case is before the Supreme Court;

(j) the manner in which the accounts of the Central Authority, the State Authority or the District Authority shall be maintained under section 18;

(k) the experience and qualifications of other persons of the Lok Adalats organised by

के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधियां तथा उनसे संबंधित अन्य शर्तें,

(घ) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,

(ड) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(च) धारा 3-क की उपधारा (2) खण्ड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(छ) धारा 3-क की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं,

(ज) धारा 3-क की उपधारा (5) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें तथा उनको संदेय वेतन और भत्ते,

(झ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उनकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा,

(ञ) धारा 18 के अधीन वह रीति जिसमें केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के लेखे रखे जाएंगे,

(ट) धारा 19 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं,

(ठ) धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के अधीन अन्य विषय,

the Supreme Court Legal Services Committee specified in sub-section (3) of section 19;

(l) other matters under clause (e) of sub-section (1) of section 22;

* (la) The other terms and conditions of appointments of the chairman and others persons under sub-section(2) of Section 22B.

(m) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

Power of State Governement to make rules

28. 1. The State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

2. In particular, and without projudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the number, experience and qualifications of other members of the State Authority under clause (c) of sub-section (2) of section 6;

(b) the powers and functions of the member Secretary of the State Authority under sub-section (3) of section 6;

(c) the terms of office and other conditions relating thereto, of members and Member-Secretary of the State Authority under sub-section (4) of section 6;

(d) the number of officers and other employees of the State Authority under sub-section (5) of section 6;

(e) the conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the State Authority under sub-section (6) of section 6;

(f) the experience and qualifications of

(ठक) धारा 22 ख की उपधारा (2) के अधीन अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं,

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

28. 1. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य,

(ग) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधियां और उनसे सम्बन्धित अन्य शर्तें,

(घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,

(ड) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(च) धारा 8-क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं,

(छ) धारा 8-क की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य

Added by Sec 6a of the Legal Services Authorities (Amentment) Act 2002, (Act No. 37 of 2002)

Secretary of the High Court Legal Services Committee under sub-section (3) of section 8A;

(g) the number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee under sub-section (5) of section 8A and the conditions of service and the salary and allowances payable to them under sub-section (6) of that section;

(h) the number, experience and qualifications of members of the District Authority under clause (b) of sub-section (2) of section 9;

(i) the number of officers and other employes of the District Authority under sub-section (5) of section 9;

(j) the conditions of service and the salary and allowances of the officers and other employees of the District Authority under sub-section (6) of section 9;

(k) the number, experience and qulaifications of members of the Taluk Legal Services Committee under clause (b) of sub-section (2) of section 11A;

(l) the number of officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee under sub-section (3) of section 11A;

(m) the conditions of service and the salary and allowances of the officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee under sub-section (4) of section 11A;

(n) the upper limit of annual income of a person entitling him to legal services under clause (h) of section 12, if the case is before a court, other than the Supreme Court;

(o) the experience and qualifications of other persons of the Lok Adalats other than referred to in sub-section (4) of section 19;

(p) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें और उन्हें संदेय वेतन और भत्ते,

(ज) धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(झ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,

(ञ) धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(ट) धारा 11-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन, तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(ठ) धारा 11-क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,

(ड) धारा 11-क की उपधारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकरियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(ढ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा के लिये किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उसकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा,

(ण) धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं,

(त) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

Power of Central Authority to make regulations

29\. 1. The Central Authority may, by notification, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, to provide for all matters for which provisions is necessary or expedient for the purposes of giving effect to the provisions of this Act.

2\. In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the powers and functions of the Supreme Court Legal Services Committee under sub-section (1) of section 3A;

(b) the terms of office and other conditions relating thereto, of the members and Secretary of the Supreme Court Legal Services Committee under sub-section (4) of Section 3A.

Power of State Authority to make regulations

29A. 1. The State Authority may, by notification, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, to provide for all matters for which provisions is necessary or expedient for the purposes of giving effect to the provisions of this Act.

2\. In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the other functions to be performed by the State Authority under clause (d) of sub-section (2) of section 7;

(b) the powers and functions of High Court Legal Services Committe e under sub-section (1) of section 8A;

केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

29\. 1. केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

2\. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य,

(ख) धारा 3-क की उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां तथा उनसे संबंधित अन्य शर्तें।

राज्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

29क 1. राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

2\. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य,

(c) the number, experience and qualification of members of the High Court Legal Services Committee under clause (b) of sub-section (2) of section 8A;

(d) the terms of office and other condition relating thereto, of the Members and Secretary of the High Court Legal Services Committee under sub-section (4) of section 8A;

(e) the terms of office and other conditions relating thereto, of the Members and Secretary of the District Authority under sub-section (4) of section 9;

(f) the number, experience and qualifications of members of the High Court Legal Services Committee under clause (b) of sub-section (2) of section 8A;

(g) other functions to be performed by the District Authority under clause (c) of sub-section (2) of section 10;

(h) the terms of office and other conditions relating thereto, of members and Secretary of the Taluk Legal Services Committee under sub-section (3) of section 11A.

Laying of rules and regulations

30. 1. Every rules made under this Act by the Central Governement, and every regulation made by the Central Authority thereunder, shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the seccessive sessions aforesaid, both.

Houses agree in making any modificaition in the rule or regulation, of both Houses agree that the rule or regulation should not be made,

(ख) धारा 8-क की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य,

(ग) धारा 8-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(घ) धारा 8-क की उपधारा (4) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें,

(ङ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें,

(च) धारा 8-क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(छ) धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य,

(ज) धारा 11-क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें।

नियमों और विनियमों का रखा जाना

30. 1. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में

the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

2. Every rule made under this Act by a State Government and every regulation made by a State Authority thereunder shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम में ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd January, 2003

G.S.R. 3 (E).- In ecxercise of the powers conferred by clause (la) of sub-section (2) of section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement

1. These rules may be called the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official *Gazette*.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987;)

(b) "Chairman" means a person appointed as Chairman of the Permanent Lok Adalat established by the Central Authority or a State Authority under sub-section (1) of section 22 B of the Act;

(c) "Other person" means a person nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 22 B;

(d) "Section" means a section of the Act;

(e) "permanent Lok Adalat" means a Permanent Lok Adalat established under sub-section (1) of section 22 B;

(f) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Sitting Fee and other allowances of Chairman and other persons of Permanent Lok Adalat

(1) When a serving judicial officer is appointed as Chairman, he shall receive the salary, allowances and other perquisities as are admissible to a serving judicial officer;

(2) When a retired judicial officer is appointed as Chairman, he shall be entitled to a sitting fee of

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

Extraordinary

भाग- II -खण्ड 3 - उपखण्ड (i)

Part II- Section 3- Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 3 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2003/पौष 12, 1924

No. 3 New Delhi, Thursday, January 2, 2003/Pausa 12, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 3 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के न्यायमूर्ति से परामर्श करके निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 22 ख की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण या किसी राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "अन्य व्यक्ति" से धारा 22ख की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ङ) "स्थायी लोक अदालत" से धारा 22ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई स्थीय लोक अदालत अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ

rupees five hundred per sitting.

(3) Any other person shall be entitled to a sitting fee of rupees four hundred per sitting.

(4) The Chairman and other person shall be entitled to such traveling and daily allowances on official tour as are admissible to Group 'A' officers of the Central Government.

(5) For the purpose of attending the sittings of Permanent Lok Adalat, the Chairman and other person shall be entitled to conveyance allowance of rupees three thousand per month.

4- Terms and Conditions of Service of Chairman and other persons of Permanent Lok Adalat

(1) Before appointment, the Chairman and other person shall have to take an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairman or other person.

(2) The Chairman and other persons shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for reappointment.

(3) Notwithstanding anything contained in sub rule (2), Chairman or other persons may-

(a) by writing under his hand and addressed to the Central Authority or, as the case may be, the State Authority, resign his office at any time;

(b) be removed from his office in accordance with the provisions of rule 5.

(4) When the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the senior-most (in order of appointment) person of Permanent Lok Adalat holding office for the time being shall discharge the functions of the Chairman until the day on which the Chairman resumes the charge of his functions.

(5) The Chairman or any other person ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in, or be connected with, the management or administration of an organization which has been the subject of the proceeding under the Act during his tenure for a period of five years from the date on which he ceases to hold such office.

5. Resignation and removal

The Central Authority or State Authority as the

होंगे जो क्रमशः इस अधिनियम में हैं।

3. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की बैठक फीस और अन्य भत्ते :-

(1) जब सेवारत न्यायिक अधिकारी को, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य उपलब्धियां प्राप्त करेगा जो किसी सेवारत न्यायिक अधिकारी को अनुज्ञेय हैं;

(2) जब किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह प्रति बैठक पांच सौ रूपए की बैठक फीस के लिए हकदार होगा;

(3) कोई अन्य व्यक्ति प्रति बैठक चार सौ रूपए की बैठक फीस के लिए हकदार होगा;

(4) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं;

(5) स्थायी लोक अदालत की बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति तीन हजार रूपए प्रतिमास के सवारी भत्ते के हकदार होंगे।

4. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की सेवा के निबंधन और शर्तें :-

(1) नियुक्ति से पूर्व, अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति को एक वचनबंध देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और नहीं होगा जिससे उसके अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति :-

(क) किसी भी समय लिखित में और अपने हस्ताक्षर से, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे;

(ख) नियम 5 के उपबंधों के अनुसार, उसके पद से हटाए जा सकेंगे।

(4) जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रूग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो; तब स्थायी लोक अदालत का ज्येष्ठतम व्यक्ति (नियुक्ति के क्रम में) जो उस समय पद धारण कर रहा है उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस दिन अध्यक्ष अपने कृत्यों का भार पुनः ग्रहण कर लेता है।

(5) अध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति उस रूप में अपने पद पर

case may be, may remove from office, Chairman or other person who-

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an ofence which, in the opinion of the Authority, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Chairman or other person; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairman or Other person; or

(e) has or so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the Chairman or any other person shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e), except on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in rule 6.

6. Procedure for Inquiry

(1) Whenever the Central Authority or, as the case may be, State Authority is of the opinion that an allegation under clause (d) or Clause (e) of rule 5 is required to be inquired into, it may hold an inquiry against the Chairman or other person and shall draw or cause to be drawn up the substance of the allegation which shall contain a statement of relevant facts and a list of documents and witnesses.

(2) The Central Authority or, as the case may be, State Authority shall deliver or cause to be delivered to the Chairman or other person a copy of the allegation and a list of documents and witnesses and shall require him to submit within such time as may be allowed, a written reply or statement of his defence.

(3) If the allegations are admitted by the Chairman or other person, the Central Authority or, as the case may be, State Authority shall record reasons and remove the Chairman or other person.

(4) Where the charges have ben denied by the Chairman or the other person, the Central Authority or, as the case may be, State Authority may appoint an officer to inquire into the truth of the allegations and it may also appoint a Presenting Officer to present the case on behalf of the Central Authority or, as the case may be, State Authority before the Inquiry Officer.

न रहने पर, उस तारीख से जिसको वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पांच वर्ष की पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे संबद्ध नहीं रहेगा।

5. त्यागपत्र और हटाया जाना :- यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, अध्यक्ष या ऐसे अन्य व्यक्ति को पद से हटा सकेगा, :-

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें प्राधिकरण की राय में नैतिक अधमता अर्तवलित है; या

(ग) जो अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आशक्त हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :

परन्तु अध्यक्ष या अन्य कोई व्यक्ति अपने पद से खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर, नियम 6 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के सिवाय नहीं हटाया जाएगा।

6. जांच के लिए प्रक्रिया :- (1) जब कभी यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की यह राय है कि नियम 5 के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन किसी अभिकथन की जांच किया जाना अपेक्षित है तो यह अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध जांच कर सकेगी और अभिकथन का सार तैयार करेगा या करवाएगा जिसमें सुसंगत तथ्यों का कथन और दस्तावेजों तथा साक्षियों की सूची अंतर्विष्ट होगी।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को अभिकथन की प्रति और दस्तावेजों तथा साक्षियों की एक सूची परिदत्त करेगा या कराएगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो अनुज्ञात किया जाए कोई लिखित उत्तर या अपनी प्रतिरक्षा में कथन प्रस्तुत करे।

(3) यदि अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा अभिकथन स्वीकार किए जाते हैं तो यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण कारण अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को हटाएगा।

(4) जहां अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपों से इंकार किया जाता है, वह, यथास्थिति केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अभिकथनों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त

(5) The Inquiry Officer shall give an opportunity to the Presenting Officer to present the case within such time as may be allowed by the Inquiry Officer, from time to time after the evidence is closed by the Presenting officers, the Chairman or other person, as the case may be, shall be given an opportunity to present his defence in respect of allegations within such time as may be allowed by the Inquiry Officer.

(6) The Inquiry Officer shall have power to call witnesses and record their statements or receive evidence on affidavits or call for production of documents or other relevant records, which may be necessary for the inquiry.

(7) The Inquiry Officer shall submit his report within a period of six months or within such time as may be extended by the Central Authority or, as the case may be, State Authority.

(8) If the Cental Authority or, as the case may be, State Authority is satisfied that the charges are proved on the basis of the report submitted by the Inquiry Officer, it shall remove the delinquent Chairman or other person, as the case may be.

7. Place of sitting

(1) The Permanent Lok Adalat may sit at a place specified by the Central Authority or the State Authority, as the case may be.

(2) The working days and office hours of the Permanent Lok Adalat shall be the same as that of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(3) The sitting of the Permanent Lok Adalat, as and when necessary, shall be convened by the Chairman.

8. Staff of Permanent Lok Adalat

The Central Government or the State Government, as the case may be, shall provide such staff as may be necessary to assist the Permanent Lok Adalat in its day-to-day work and perform such other functions as are provided under the Act and these rules or assigned to it by the Chairman. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the State, as the case may be.

[F. No. A-60011 (3)/2001-Admn. III(LA)]
R.L. KOLI, Jt. Secy. and Legal Advisor

कर सकेगा और वह जांच अधिकारी के समक्ष, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतीकरण अधिकारी को भी नियुक्त कर सकेगा।

(5) जांच अधिकारी, प्रस्तुतीकरण अधिकारी को मामले को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे समय के भीतर जो समय-समय पर जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए, अवसर प्रदान करेगा। प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा साक्ष्य पूरा कर देने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के भीतर जो जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, अभिकथनों के बाबत अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(6) जांच अधिकारी को साक्षियों को बुलाने और उनके कथन अभिलिखित करने या शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करने या दस्तावेजों या अन्य सुसंगत अभिलेखों को, जो जांच के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए कहने, की शक्ति होगी।

(7) जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट छह मास की अवधि के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आरोप साबित हो गए हैं, तो वह, यथास्थिति, अपचारी अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को हटा देगा।

7. बैठक का स्थान :- (1) स्थायी लोक अदालत की बैठक, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर हो सकेगी।

(2) स्थायी लोक अदालत के कार्य दिवस और कार्य के घंटे वही होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के हैं।

(3) अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यक हो, तब स्थायी लोक अदालत की बैठक बुलाई जाएगी।

8. स्थायी लोक अदालत के कर्मचारिवृन्द :- यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्थायी लोक अदालत को, ऐसा कर्मचारिवृन्द जो उसके दिन प्रतिदिन के कार्य और ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए जो इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपबंधित हैं या उसके अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हैं, उसकी सहायता के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगां ऐसे कर्मचारिवृन्द को संदेय वेतन, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य सरकार की संचित निधि से चुकाया जाएगा।

आर.एल. कोली
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार